

# राजस्थान पुलिस अकादमी नेहरू नगर, जयपुर

N-11

[www.rpa.rajasthan.gov.in](http://www.rpa.rajasthan.gov.in)

क्रमांक:-व-15(37)आरपीए/जन/पीडीएफ/2024/ ५५१३

दिनांक:- २९-८-२४

## ई-बोली सूचना

राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर के लिए पुलिस विकास कोष के अंतर्गत आवंटित बजट से Specialized Multi Functional Mobile Training Lab तैयार करने हेतु 35+D Seater Bus, BS VI with A/C क्रय किए जाने, संस्था के प्रशासनिक भवन/हॉस्टल हेतु बायोमेट्रिक मशीन क्रय करने एवं अकादमी परिसर में कान्फेंस हॉल के उन्नयन के लिये फर्निचर के उपापन के लिए दर संविदा हेतु मोहरबन्द बोलियाँ दिनांक 29.08.2024 से 17.09.2024 को 01:00 बजे तक मूल विनिर्माताओं एवं प्राधिकृत डीलरों से आमंत्रित की जाती है। उक्त बोली आमंत्रण सूचना [www.sppp.rajasthan.gov.in](http://www.sppp.rajasthan.gov.in), [www.rpa.rajasthan.gov.in](http://www.rpa.rajasthan.gov.in) एवं ई-प्रोक्योरमेन्ट की साईट पर भी देखी जा सकती है, तथा डाउनलोड की जा सकती है।

क्र. सं.	उपापन की विषयवस्तु का संक्षिप्त वर्णन	उपापन की अनुमानित लागत (राशि रूपये में)	बोली प्रतिभूति राशि	बोली प्रपत्रों का मूल्य	RISL शुल्क	बोली खोलने की तिथि
1	संस्था हेतु Specialized Multi Functional Mobile Training Lab तैयार करने हेतु 30-35+D Seater Bus, BS VI with A/C एवं उपकरण क्रय करने के लिए। (परिशिष्ट A के अनुसार)	40.00 लाख	* अनुमानित लागत की 2 प्रतिशत	* 500/- रु0	500/- रु0	17.09.2024
2	प्रशासनिक भवन/हॉस्टल हेतु बायोमेट्रिक मशीन क्रय करने के लिए। (परिशिष्ट B के अनुसार)	06.50 लाख	* अनुमानित लागत की 2 प्रतिशत	* 200/- रु0	500/- रु0	17.09.2024
3	अकादमी परिसर में कान्फेंस हॉल के उन्नयन के लिये फर्निचर के उपापन हेतु। (परिशिष्ट C के अनुसार)	05.00 लाख	* अनुमानित लागत की 2 प्रतिशत	* 200/- रु0	500/- रु0	17.09.2024

२९.८.२४

सहायक निदेशक (प्रशासन),  
राजस्थान पुलिस अकादमी,  
जयपुर।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- निजी सहायक, निदेशक, आर.पी.ए. जयपुर।
- निजी सहायक, अतिरिक्त निदेशक, आर.पी.ए. जयपुर।
- निदेशक सूचना एवं जन सम्पर्क निदेशालय राजस्थान जयपुर को 10 प्रतियों में भेजकर निवेदन है कि निविदा सूचना को तीन दिवस तक आवश्यक रूप से एक क्षेत्रीय स्तर के समाचार पत्र में प्रकाशित करावें एवं अखबार की दो प्रति इस कार्यालय में भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।
- समस्त गहानिरीक्षक पुलिस रेंज को भेजकर निवेदन है कि आपके अधीनस्थ जिलों के ठेकेदारों को सूचित करने का श्रम करें।
- निजी सहायक, उप निदेशक एवं प्राचार्य, आर.पी.ए. जयपुर।
- लेखाधिकारी, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।
- संचित निरीक्षक (प्रशासन) राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।

# राजस्थान पुलिस अकादमी नेहरू नगर, जयपुर

www.rpa.rajasthan.gov.in

8. प्रोग्राम, आर.पी.ए. जयपुर को भेजकर लेख है कि उपरोक्त निविदा sppp पोर्टल ([www.sppp.rajasthan.gov.in](http://www.sppp.rajasthan.gov.in)) एवं [www.rpa.rajasthan.gov.in](http://www.rpa.rajasthan.gov.in) वेबसाइट पर मय खुली निविदा सूचना, निविदा प्रारूप एवं शर्तों के अपलोड करवाना सुनिश्चित करावें।
9. प्रगारी रीडीपीएराएग / रटोर / कैशियर, आर.पी.ए. जयपुर।
10. नोटिस वोर्ड, आर.पी.ए. जयपुर।

सहायक निदेशक (प्रशासन),  
राजस्थान पुलिस अकादमी,  
जयपुर।

# राजस्थान पुलिस अकादमी नेहरू नगर, जयपुर

www.rpa.rajasthan.gov.in

## “ई-तकनीकी बिड”

(ई-बोली प्रपत्र – अ तकनीकी बीड)

बोली आमंत्रण सूचना क्रमांक:

दिनांक:

- 1.....
- 2.....
- 3..... के लिए बोली  
(खाली स्थान में उस आईटम का नाम लिखे, जिसके लिए बोली दी गई हैं)
2. बोली प्रस्तुत करने वाली फर्म:-.....  
का नाम, डाक का पूर्ण पता:-.....  
दूरभाष फैक्स नम्बर एवं ईमेल आईडीः:-.....
3. बोली जिन्हें प्रस्तुत करनी है :- निदेशक राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।
4. सन्दर्भ बोली आमंत्रण सूचना संख्या-.....  
दिनांक ..... जो.....  
(समाचार पत्र का नाम) दिनांक..... में प्रकाशित हुई है।
5. निविदाएं तकनीकी बिड व तित्तीय बिड अलग-अलग लिफाफों में प्रस्तुत की जावेगी।  
तकनीकी बिड में सफल निविदादाताओं की ही वित्तीय बिड खोली जावेगी।
6. कार्य की मात्रा वास्तविक मांग अनुसार घटाई एवं बढ़ाई जा सकती है।
7. बैंक ड्रा / बैंकर्स चैक सं0..... दिनांक ..... द्वारा राशि रूपये 2  
प्रतिशत – बयाना राशि के पेटे जमा करवाई गई।
8. इसके साथ जी.एस.टी. प्रमाण-प, संलग्न करें।
9. विनिर्माता/डीलर आदि का घोषणा पत्र एस.आर. 11 में संलग्न है।
10. निविदा शर्त मेरे द्वारा देख ली गयी है तथा प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिए गये हैं।

बोलीदाता के हस्ताक्षर  
मय मोहर



# राजस्थान पुलिस अकादमी नेहरू नगर, जयपुर

N▼||

[www.rpa.rajasthan.gov.in](http://www.rpa.rajasthan.gov.in)

राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर Specialized Multi Functional Mobile Training Lab तैयार करने हेतु 35+D Seater Bus, BS VI with A/C क्रय किए जाने, संस्था के प्रशासनिक भवन/हॉस्टल हेतु बायोमेट्रिक मशीन क्रय करने एवं अकादमी परिसर में कान्फ्रेंस हॉल के उन्नयन के लिये फर्नीचर के उपापन के लिए दर संविदा हेतु मोहरबन्द बोलियाँ के लिए बोलीदाता की योग्यताएँ एवं सामान्य शर्तें :—

1. ई—निविदा के दो भाग होंगे तकनीकी निविदा और वित्तीय निविदा। निविदादाता द्वारा तकनीकी निविदा से संबंधित दस्तावेज ही रखें जावेंगे तथा वित्तीय बिड साथ में संलग्न नहीं की जावेगी अगर वित्तीय बिड निविदादाता द्वारा संलग्न की गयी तो निविदा निरस्त कर दी जावेगी एवं तकनीकी बोली में सफल निविदादाता की ही वित्तीय बिड ऑनलाईन खोली जायेगी।
2. ऑनलाईन प्रस्तुत की गई निविदा को डाउनलोड कर निर्धारित प्रोसेसिंग फीस, निविदा शुल्क एवं निर्धारित धरोहर राशि के नकद/बैकर चैक/डिमाण्ड ड्राफ्ट को पुलिस अकादमी कार्यालय में भौतिक रूप से दिनांक 17.09.2024 को 01.00 बजे तक प्रस्तुत की जावेगी। भौतिक दस्तावेज राजस्थान पुलिस अकादमी में स्थित टेण्डर बॉक्स में मार्किंग के पश्चात डालने होंगे निर्धारित समय के पश्चात बॉक्स में डाला जाना अनुमत्त नहीं होगा तथा दिनांक 17.09.2024 को तकनीकी निविदा सायं 03.30 बजे खोली जावेगी।
3. इच्छुक बोलीदाता जिस बोली के लिये आवेदन करना चाहता है उस बोली के समक्ष अंकित राशि के अनुसार आवश्यक शुल्क जमा कराकर पृथक से आवेदन कर सकता है।
4. इच्छुक बोलीदाता संबंधित आईटम के लिये अंकित अनुमानित राशि के दोगुने मूल्य तक वित्तीय वर्ष 2020–21, 2021–22, 2022–23 के लिये टर्नआवर प्रमाण पत्र तथा दस्तावेज संलग्न करने होंगे तथा टर्नआवर प्रमाण पत्र तथा दस्तावेज सी.ए द्वारा अंकेक्षित किये हुए होने चाहिए।
5. बोलीदाता को बोली की दिनांक से गत 03 वर्षों में राज्य सरकार अथवा उपापन संस्था द्वारा काली सूची में डाला/विवर्जित/अयोग्य घोषित नहीं होना चाहिए। ( राशि रूपये 100/- के गैर न्यायिक मुद्रांक पत्र पर इस बाबत् स्वयं हस्ताक्षरित शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा )
6. RICL के शुल्क का DD, प्रबंध निदेशक, RICL के नाम से जारी करवाकर जमा करवाना होगा उक्त के अभाव में निविदा निरस्त कर दी जावेगी।
7. ओ.ई.एम का टर्नओवर वित्तीय वर्षों 2020–2021, 2021–22 व 2022–23 में 1 करोड़ रूपये होना चाहिए।
8. बोलीदाता को उपापन समिति के समक्ष नमूने प्रस्तुत करने होंगे तथा बोलीदाता का अधिकृत वर्कशॉप/रिपोर्टिंग सेन्टर होना चाहिए तथा वारन्टी–गारन्टी पीरियड में मांग किये जाने पर

# राजस्थान पुलिस अकादमी नेहरू नगर, जयपुर

NPF

[www.rpa.rajasthan.gov.in](http://www.rpa.rajasthan.gov.in)

निविदत्त आईटम की रिपेयरिंग निर्धारित समय पर की जानी होगी विलम्ब के लिये निविदादाता स्वयं उत्तरदायी होगा जिसके लिये निर्धारित पैनल्टी लगायी जायेगी जिसका निर्णय उपापन समिति के द्वारा किया जायेगा।

9. तकनीकी जॉच हेतु लेबोरेट्री में आवश्यक हुआ तो जॉच करने के बाद ही कार्यादेश जारी किया जा सकेगा तथा तकनीक दृष्टि से भारत सरकार/राजस्थान सरकार/अन्य किसी प्राधिकृत एजेन्सी के नियम/प्रावधान लागू होते हैं तो निविदत्त आईटम के लिये लागू किये जायेंगे।
10. राजस्थान में अवस्थित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों हेतु बोली प्रतिभूति राशि अनुमानित लागत की 0.50 प्रतिशत होगी एवं बोली प्रपत्र निर्धारित मूल्य के 50 प्रतिशत पर उपलब्ध कराए जाएँगे। उक्त के सम्बन्ध में बोलीदाता को सम्बन्धित वर्ग के पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उक्त के अभाव में छूट देय नहीं होगी।
11. बोली दाता के पास आयकर पैन नम्बर होना आवश्यक है।(पैन कार्ड की स्व-सत्यापित छायाप्रति अपलोड करें।)
12. फर्म का जी.एस.टी में रजिस्टर्ड होना आवश्यक है। (GST रजिस्ट्रेशन की स्वप्रमाणित छायाप्रति अपलोड करें। )
13. बोली के साथ संलग्न अनुलग्नक A,B,C,D,E,F,G एवं H पर अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर कर प्रस्तुत करने होंगे।
14. बोलीदाता को उक्त कार्य का वित्त वर्षों (2021–22, 2022–23 एवं 2023–24) का कार्यानुभव होना आवश्यक है। अनुभव की पुष्टि हेतु निर्धारित अवधि में सरकारी विभाग/निगम/बोर्ड/प्राधिकरण द्वारा जारी कार्यादेश अथवा कार्यानुभव प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न करनी होगी।
15. बोली के संबंध में किसी प्रकार की समस्या हो तो निम्न अधिकारियों से सम्पर्क किया जा सकता है:-  
सहायक निदेशक (प्रशासन), राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर।  
दूरभाष न. 0141- 2302633 ई-मेल [adadmin.rpa@rajpolice.gov.in](mailto:adadmin.rpa@rajpolice.gov.in)  
लेखाधिकारी, राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर।  
मोबाइल न. 9785159758

सहायक निदेशक (प्रशासन),  
राजस्थान पुलिस अकादमी,  
जयपुर।

# राजस्थान पुलिस अकादमी नेहरू नगर, जयपुर

www.rpa.rajasthan.gov.in

## A. बोलीदाता को निर्देश :-

1. बोलियाँ ऑनलाइन माध्यम से एकल पद्धति (द्वि-भाग) तकनीकी बिड एवं वित्तीय बिड से प्राप्त की जावेगी। तकनीकी बिड में योग्य पाये गये बोलीदाताओं की ही वित्तीय बिड खोली जावेगी।
2. बोली के इच्छुक बोलीदाता को ई-बोली में भाग लेने के लिए सर्वप्रथम वेबसाईट <http://www-eproc-rajasthan-gov-in> पर स्वयं का पंजीकरण कराना होगा। तत्पश्चात जो बोलीदाता ऑन लाईन टेष्डर्स में भाग लेना चाहते हैं। उन्हें सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत डिजिटल सर्टिफिकेट प्राप्त करने होंगे। बोलीदाता किसी भी अनुमोदित सी सी ए (Certificate Certifying Authority) एजेन्सी से डिजिटल ले सकते हैं। जिन बोलीदाता के पास पहले से ही उक्तानुसार वैध डिजिटल सर्टिफिकेट उपलब्ध हैं। उन्हें पुनः डिजिटल सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है।
3. बोलीदाताओं को बोली के साथ निर्धारित शुल्क एवं प्रतिभूति राशि के रूप में अनुसूचित बैंक द्वारा जारी डी.डी./एफडीआर/बैंक गारण्टी/ई-बैंक गारन्टी (जो निदेशक, आरपीए जयपुर के नाम से देय हो)/नकद/ई-ग्रास चालान के माध्यम से उपापन संस्था में जमा करना होगा। उक्त के अभाव में प्राप्त बोली पर विचार नहीं किया जावेगा।
4. सफल बोलीदाता/अनुबन्धकर्ता द्वारा अनुबन्ध को किसी अन्य फर्म को सबलेट नहीं किया जा सकेगा।
5. सशर्त बोलियाँ अस्वीकार्य होगी।
6. सफल बोलीदाता को बोली अधिस्वीकृति पत्र जारी होने के 15 दिवस के भीतर राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 75 के अनुसार उपापन की विषय वस्तु की प्राक्कलित लागत की 5% (राजस्थान में अवस्थित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों हेतु आपूर्ति आदेश की 1%) की दर से कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुसूचित बैंक द्वारा जारी डी.डी./एफडीआर/बैंक गारण्टी (जो निदेशक, आरपीए जयपुर के नाम से देय हो) से जमा कराते हुए नियमानुसार राशि के गैर न्यायिक मुद्रांक पत्र पर स्वयं के व्यय पर अनुबन्ध करना होगा। उक्त के अभाव में बोलीदाता द्वारा जमा कराई गई बोली प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जावेगी एवं बोलीदाता के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई भी की जा सकेगी। समस्त संविदाजात दायित्व संतोषजनक रूप से पूर्ण होने के पश्चात् कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि संवेदक को लौटा दी जावेगी। इस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
7. बोलीदाता को इस बोली प्रपत्र के साथ संलग्न संलग्नक A, B एवं D अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर कर संलग्न करने होंगे।
8. दर संविदा की अवधि 1 वर्ष होगी, जिसे नियमानुसार बढ़ाया जा सकेगा।

# राजस्थान पुलिस अकादमी नेहरू नगर, जयपुर

www.rpa.rajasthan.gov.in

9. संविदा अवधि मे संवेदक एवं आरपीए के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो निदेशक, आरपीए जयपुर का निर्णय अन्तिम होगा।
  10. सभी प्रकार के कानूनी वाद जयपुर स्थित न्यायालयों मे ही प्रस्तुत किये जा सकेंगे। अनुबन्ध अवधि के दौरान सामग्री/सामान की दरें स्थिर रहेगी। इनमे किसी प्रकार की वृद्धि स्वीकार्य नहीं होगी। दरों मे कमी के सम्बन्ध मे राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता नियम-2013 का नियम 29(2-ज) प्रभावी होगा।
- B. कार्य निष्पादन सम्बन्धी शर्तें :-**
1. उपाप्त की जाने वाली सामग्री/सामान हेतु दरें संलग्न वित्तीय प्रस्ताव में ही अंकित की जानी है। दरें, अंको एवं शब्दों मे अंकित की जानी चाहिए। दरें प्रति इकाई रूपयें मे अंकित की जानी चाहिए। दरों मे शब्दों एवं अंको के मध्य विसंगति होने की स्थिति मे आरटीपीपी नियम 2013 के नियम 64 (ग) के अनुसार निर्णय लिया जावेगा।
  2. आदेशित सामान/सेवा की आपूर्ति कार्यादेश जारी तिथि से 30 दिवस मे नहीं करने पर सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों मे वर्णित प्रावधानानुसार परिनिर्धारित नुकसानी संवेदक से वसूलनीय होगी।
  3. विभाग किसी भी निविदा के एक आइटम को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं होगा।
  4. अनुबन्धकर्ता द्वारा यदि सामग्री/सेवा आपूर्ति नहीं की जाती है, कम मात्रा मे आपूर्ति की जाती है अथवा घटिया गुणवत्ता की सामग्री/सेवा की आपूर्ति की जाती है तो संवेदक की रिस्क एवं कॉस्ट पर खुले बाजार से क्रय/कार्य कर लिया जावेगा तथा अन्तर राशि (यदि कोई हो) की वसूली संवेदक को देय राशि अथवा संवेदक द्वारा जमा कराई गई कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि मे से कर ली जावेगी, जो परिनिर्धारित नुकसानी के अतिरिक्त होगी।
  5. अपूर्ण/असंतोषजनक/घटिया गुणवत्ता की आपूर्ति करने अथवा आपूर्ति नहीं/विलम्ब से किए जाने पर अनुबन्ध को निरस्त किया जाकर प्रतिभूति राशि जब्त कर संवेदक को अयोग्य घोषित/काली सूची मे डाला जा सकता है।
  6. बोली खुलने के पश्चात् यदि सफल/न्यूनतम बोलीदाता उसके द्वारा प्रस्तुत की गयी दरों को वापस लेता है या अनुबन्ध पश्चात् निर्धारित समयावधि मे कार्य प्रारम्भ/आपूर्ति नहीं करता है तो बोली प्रतिभूति/कार्य-सम्पादन प्रतिभूति राशि (जैसी भी स्थिति हो) को जब्त कर बोलीदाता/संवेदक के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।



# राजस्थान पुलिस अकादमी नेहरू नगर, जयपुर

www.rpa.rajasthan.gov.in

7. अनुबन्धकर्ता द्वारा आपूर्ति की जाने वाली सामग्री/सामान को सही स्थिति में अकादमी तक पहुँचाने का दायित्व अनुबन्धकर्ता का होगा। परिवहन में हुये किसी प्रकार की क्षति की जिम्मेवारी अनुबन्धकर्ता की ही होगी। अकादमी द्वारा उक्त हेतु कोई भुगतान/हर्जना देय नहीं होगा।

## C. मूल्यांक कसौटी एवं अनुबन्ध योग्यता निर्धारण प्रक्रिया :-

1. सर्वप्रथम बोलीदाताओं की तकनीकी बिड समिति द्वारा खोली जावेगी। तकनीकी बिड में सफल पाये गये बोलीदाताओं की ही वित्तीय बिड खोली जावेगी। बोलीदाताओं द्वारा “वित्तीय प्रस्ताव” में प्रस्तुत दरों के आधार पर समग्र रूप से न्यूनतम दरदाता का निर्धारण किया जावेगा।
2. उपापन समिति, यदि चाहे तो उपाप्त की जाने वाली सामग्री का नमूना जाँच कर सकती है। इस सम्बन्ध में बोलीदाता को कोई आपत्ति नहीं होगी एवं समिति के चाहे जाने पर अपेक्षित सामग्री का नमूना बोलीदाता को प्रस्तुत करना होगा। समिति द्वारा उपलब्ध कराए गए नमूने की गुणवत्ता के आधार पर न्यूनतम बोलीदाता से इतर अन्य बोलीदाता की दरें भी स्वीकार की जा सकती हैं।
3. राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता अधिनियम-2012 व नियम-2013 में वर्णित प्रक्रिया अनुसार बोलीदाताओं से बातचीत भी की जा सकती है।
4. “वित्तीय प्रस्ताव” मे वर्णित मात्रा अनुमानात्मक है अकादमी मे कार्य की आवश्यकता के दृष्टिगत इनमें कमी अथवा नियमानुसार वृद्धि की जा सकती है, जिसके लिए स्वीकृत दरों से भुगतान किया जावेगा। न्यूनतम मात्रा के उपापन की कोई गारन्टी नहीं होगी।
5. यह आवश्यक नहीं है कि एक ही बोलीदाता से अनुबन्ध किया जावें, अकादमी स्विवेक से एक से अधिक बोलीदाताओं से समान दरों पर अनुबन्ध कर सकती है। समान/सामग्री/कार्य के लिए एक से अधिक बोलीदाताओं से भी समान दरों पर अनुबन्ध किया जा सकता है।
6. अत्यन्त अव्यवहारिक दरें प्राप्त होने की दशा मे यह आवश्यक नहीं है कि न्यूनतम दर वाले बोलीदाताओं की दरों को स्वीकार किया जावे। सक्षम समिति बोलीदाता द्वारा दरों की औचित्यता के आधार पर न्यूनतम से अन्य बोलीदाता की दरें भी स्वीकार कर सकती हैं।

# राजस्थान पुलिस अकादमी नेहरू नगर, जयपुर

www.rpa.rajasthan.gov.in

## अन्य शर्तें/अनुदेश :-

1. निदेशक, आरपीए द्वारा अनुबन्ध की अवधि के दौरान किसी भी कारण से अवगत कराते हुये या बिना कारण अवगत कराये 30 दिवस का नोटिस देकर अनुबन्ध को समाप्त किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में बोलीदाता को किसी प्रकार का हर्जा-खर्चा नहीं दिया जायेगा।
2. बोलीदाता द्वारा किसी शर्त का उल्लंघन करने पर अथवा योग्यता नहीं रखने पर बोली निरस्त/अनुबन्ध समाप्त करने की कार्यवाही की जा सकती है।
3. बोली पूर्व स्पष्टीकरण के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की जानकारी/स्पष्टीकरण अकादमी जयपुर (सामान्य शाखा) एवं बोली प्रपत्र मे किसी प्रकार का परिवर्तन Portal पर प्रदर्शित कर दिया जावेगा। (नियम 46 एवं 47 अनुसार )
4. बोलीदाताओं को राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता अधिनियम—2012 एवं नियम 2013 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार सत्यनिष्ठा संहिता की पालना किया जाना अनिवार्य होगा।
5. राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता अधिनियम—2013 की धारा-38 के तहत कोई भी बोलीदाता अथवा भावी बोलीदाता जिसे यह प्रतीत होता है, कि इस बोली का कोई प्रावधान या कृत्य इस अधिनियम के प्रतिकूल है, तो वह प्रथम अपील अधिकारी उप महानिरीक्षक पुलिस एवं अतिरिक्त निदेशक आरपीए, जयपुर के समक्ष अपील कर सकता है। साथ ही समान उद्देश्य (अपील) के लिए प्रावधान अनुसार द्वितीय अपील अधिकारी निदेशक, आरपीए जयपुर के समक्ष अपील कर सकता है (अनुलग्नक—‘स’। प्रथम एवं द्वितीय अपील अधिकारी के समक्ष अपील करने हेतु निर्धारित शुल्क क्रमशः राशि रूपये 2500/- एवं राशि रूपये 1000/- निर्धारित है, जो अपीलकर्ता को अपील के साथ बैंक ड्राफ्ट के रूप में (जो निदेशक, आरपीए जयपुर के नाम देय हो) संलग्न करनी होगी। अपील के साथ जमाई कराई जाने वाली फीस अप्रतिदाय होगी।
6. किसी भी बोलीदाता द्वारा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम—2013 के नियम 81 (3) में वर्णित हित का विरोध की स्थिति में नहीं होना चाहिए।

# राजस्थान पुलेस अकादमी नेहरू नगर, जयपुर

www.rpa.rajasthan.gov.in

7. राजस्थान उपापन में पारदर्शिता अधिनियम-2012 एवं नियम-2013, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम में वर्णित प्रावधान एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये जाने वाले दिशा-निर्देश/आदेश जो इस बोली हेतु प्रासंगिक हो अकादमी एवं सफल बोलीदाता द्वारा मान्य एवं बाध्यकारी होंगे।

## बोलीदाता के हस्ताक्षर

फर्म का नाम व पता:-.....

मोबाइल / दूरभाषः-.....

# राजस्थान पुलिस अकादमी नेहरू नगर, जयपुर

www.rpa.rajasthan.gov.in

## परिशिष्ट “द” पुलिस मुख्यालय राजस्थान जयपुर बोलीदाताओं द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने जिस वस्तु/स्टोर/कार्य के लिए बोली दी है, उनका/उनके लिए मैं/हम बोनाफाईड विनिर्माता/निर्माता (वृहत्/मध्यम/लघु) (जो ISO-9001/ISO-9002/ISO-9000/ISO-4000 प्रमाण पत्र धारक हो) थोक विक्रेता/थोक वितरक/सोल सेलिंग एण्ड मार्केटिंग एजेण्ट/प्राधिकृत नियमित डीलर/डीलर हूँ/हैं। मेरे/हमारे द्वारा विभागीय परिशिष्ट ‘अ, ब, स एवं ई’ तथा बोली सूचना को पूर्ण रूप से पढ़कर समझ लिया है। मेरे/हमारे द्वारा उन शर्तों की पूर्ण पालना की जाएगी/करूंगा/करेंगे। और मैं/हम उपरोक्त को अक्षरशः स्वीकार करते हैं।

यदि यह घोषणा असत्य पाई जाए तो किसी भी अन्य कार्यवाही, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मेरी/हमारी बोली प्रतिभूति राशि का समपहरण कर लिया जाए तथा बोली को जिस सीमा तक स्वीकार किया गया है, रद्द कर दिया जाए।

बोलीदाता के हस्ताक्षर  
मय मोहर  
पूर्ण पता  
टेलीफोन नं.


### परिशिष्ट—“ई”

### 100 रुपये का शपथ पत्र

मैं .....

यह है कि मेरी फर्म एवं मेरी फर्म का प्रबन्धक किसी भी अपराधिक प्रवृत्ति में लिप्त नहीं है और न ही किसी भी राजकीय विभाग/अद्वेसरकारी संस्था द्वारा पूर्व में ब्लॉक लिस्टेड/ निष्कासित किया गया है।

बोलीदाता के हस्ताक्षर  
मय मोहर  
पूर्ण पता  
टेलीफोन न



Annexure E: Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall –

- (a) Not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;
- (b) Not misrepresent or omit any fact that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;
- (c) Not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
- (d) Not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
- (e) Not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;
- (f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;
- (g) disclose conflict of interest, if any and
- (h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest :-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of interest.

A conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

- (i) A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to :
  - a. Have controlling partners/ shareholders in common; or
  - b. Receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
  - c. Have the same legal representative for purposes of the Bid ;or

A series of four handwritten signatures or initials in black ink, likely representing the signatures of officials involved in the process.

# राजस्थान पुलिस अकादमी नेहरू नगर, जयपुर

www.rpa.rajasthan.gov.in

- d. Have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
- e. The Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
- f. The Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or
- g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/ consultant for the contract.

Date :

Signature of bidder

Place :

Name :

Designation :

Address :

**राजस्थान पुलिस अकादमी नेहरू नगर, जयपुर**  
[www.rpa.rajasthan.gov.in](http://www.rpa.rajasthan.gov.in)

**Annexure F : Declaration by the Bidder regarding Qualifications**

**Declaration by the Bidder**

In relation to my/our Bid submitted to ..... for procurement of ..... in response to the Notice Inviting Bid No..... Dated ..... I/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that :

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence as is required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statement or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings ;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date :

Signature of bidder

Place :

Name :

Designation :

Address :



# राजस्थान पुलिस अकादमी नेहरू नगर, जयपुर

www.rpa.rajasthan.gov.in

## Annexure G: Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is

The designation and address of the Second Appellate Authority is

### (1) Filing an appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to the First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved :

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings.

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to the Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4) Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely :-

(a) Determination of need of procurement.

# राजस्थान पुलिस अकादमी नेहरू नगर, जयपुर

www.rpa.rajasthan.gov.in

- (b) Provisions limiting participation of Bidders in the Bid process.
- (c) The decision of whether or not to enter into negotiations.
- (d) Cancellation of a procurement process.
- (e) Applicability of the provisions of confidentiality.
- (f)

## **(5) Form of Appeal**

- (a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as the number of respondents in the appeal.
- (b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.
- (c) Every appeal may be presented to the First or Second appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.

## **(6) Fee for filing appeal**


- (a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal it shall be rupees ten thousand, and this shall be non-refundable.
- (b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or bankers cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of concerned Appellate Authority.

## **(7) Procedure for disposal of appeal**

- (a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.
- (b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall –
  - (i) hear all the parties to appeal present before him: and
  - (ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.
- (c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of this order to the parties to appeal, free of cost.
- (d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

Form No.1

(See rule 83)



# राजस्थान पुलिस अकादमी नेहरू नगर, जयपुर

www.rpa.rajasthan.gov.in

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement

Act, 2012

Appeal No.....of.....

Before the .....(First/ Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant :

(i) Name of the appellant :

(ii) Official address, if any :

(iii) Residential address :

2. Name and address of the respondent (s):

(i)

(ii)

(iii)

3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/ authority who passed the order (enclose a copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved :

4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative :

5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal :

6. Grounds of appeal

.....  
.....  
.....(Supported by an affidavit)


7. Prayer : .....

.....  
.....

Place .....

Date .....

Appellants Signature



# राजस्थान पुलिस अकादमी नेहरू नगर, जयपुर

www.rpa.rajasthan.gov.in

## Annexure H: additional conditions of contract

### 1. Correction of arithmetical errors

Provided that a financial bid is substantially responsive, the procuring entity will correct arithmetical errors during evaluation of financial bids on the following basis:

- I. If there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the procuring entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price. In which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;
- II. If there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected and
- III. If there is discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.


If the bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be expected.

### 2. Correction of arithmetical errors

- (i) At the time of award of contract, the quantity of goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the condition of contract.
- (ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.
- (iii) in case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 25% of the value of the Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the supplier fails to do so, the procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

### 3. Dividing quantities among more than one Bidder at time of award (In case of procurement of Goods)

As general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However When it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical aid vial nature. In such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lower Bidder or even more Bidder, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.



# राजस्थान पुलिस अकादमी नेहरू नगर, जयपुर

www.rpa.rajasthan.gov.in

## "ई-वित्तीय प्रस्ताव"

पार्ट-A

(ई बोली प्रपत्र -ब प्राईस बीड)

बोली आमंत्रण सूचना क्रमांक:

दिनांक

1.....

2.....

3..... के लिए बोली  
(खाली स्थान में उस आईटम का नाम लिखे, जिसके लिए बोली दी गई हैं)

बोली प्रस्तुत करने वाली फर्म:-.....

का नाम, डाक का पूर्ण पता:-.....

दूरभाष फैक्स नम्बर एवं ईमेल आईडी:-.....

3 बोली जिन्हें प्रस्तुत करनी है :-निदेशक राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।

4 सन्दर्भ बोली आमंत्रण सूचना संख्या-.....

दिनांक ..... जो.....

(समाचार पत्र का नाम) दिनांक..... में प्रकाशित हुई है।

नोट:- (i) दरें शब्दों एवं अंकों दोनों रूप में लिखी जावे। दरों में कोई त्रुटि (Errors) एवं उपरिलेखन (Overwriting) नहीं होवें।

(ii) अस्पष्ट वाक्य जैसे:-‘टैक्स पेड, कर सहित ‘एज एप्लीकेबल का प्रयोग नहीं किया जावे।

5 बोली भरने की प्रक्रिया:-

बोली प्रस्तुत करने की विस्तृत प्रक्रिया बोली आमंत्रण सूचना निविदा की शतों में उल्लेखित कर दी गई है। तदनुरूप ही बोली प्रस्तुत की जावे अन्यथा बोली पर विचार नहीं किया जायेगा।

बोलीदाता के हस्ताक्षर  
मय मोहर

# राजस्थान पुलिस अकादमी नेहरू नगर, जयपुर

N/P

[www.rpa.rajasthan.gov.in](http://www.rpa.rajasthan.gov.in)

## "ई-वित्तीय प्रस्ताव"

पार्ट-B

क्र.सं.	विवरण	दर (प्रति ईकाई)	जी.एस.टी	कुल लागत
1.	Specialized Multi Functional Mobile Training Lab तैयार करने हेतु 33+D Seater Bus, BS VI with A/C (रपेशिफिकेशन परिशिष्ट A के अनुसार)			
	I. मोबाइल बैन			
	II. मोबाइल इन्वेस्टिगेशन लैब में स्थापित किए जाने वाले उपकरण।			
2.	प्रशासनिक भवन / हॉस्टल हेतु वायोमेट्रिक मशीन। (रपेशिफिकेशन परिशिष्ट B के अनुसार)			
3.	अकादमी परिसर में कानफँस हॉल के उन्नयन के लिये फर्नीचर। (रपेशिफिकेशन परिशिष्ट C के अनुसार)			

नोट :- जीएसटी (यदि लागू हो) नियमानुसार पृथक् से देय होगी।

बोलीदाता के हस्ताक्षर

नाम:- .....

पता:- .....

मोबाइल / दूरभाष:- .....

# राजस्थान पुलिस अकादमी नेहरू नगर, जयपुर

www.rpa.rajasthan.gov.in

## परिशिष्ट A

राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर में Specialized Multi Functional Mobile Training Lab तैयार करने हेतु 30-  
35+D Seater Bus, BS VI with A/C मय उपकरण


### Specifications/Quantity

1	<b>Part-A मोबाइल वैन का स्पेसिफिकेशन</b>	
1	<b>ENGINE</b>	
	Emission	BS-VI Stage 2
	Type	4 Cyl. Common Rail, DI TCIC
	Displacement	2596 cc or more
	Max Output	85kW (114 hp)@ 2950 rpm or more
	Max Torque	350 Nm @ 1400 - 2200 rpm or more
2	<b>TRANSMISSION</b>	
	Type	G35/5 Manual, full synchromesh, cable shift
3	No. of Gears	5 Forward + 1 Reverse
	<b>AXLES</b>	
4	Front	Dead Rigid, I-Beam & Reverse Elliot
	Rear	Live Rigid
5	<b>BODY</b>	
	Type	Monocoque construction
6	<b>SUSPENSION</b>	
	Type / Description	Leaf spring
	Spring - Front	Parabolic
	Spring - Rear	Parabolic
	Anti roll bar	Front-Yes, Rear-Yes
	Shock absorbers	Hydraulic telescopic double acting at front & rear
7	<b>STEERING</b>	
	Type	Power Steering
8	<b>BRAKES</b>	
	Service Brakes	Dual circuit, Hydraulic assisted (Unibooster) with ABS, EBD, HBC and ESP
	Front & rear	Disc.
	Parking brake	Mechanical acting on Transmission
9	<b>WHEELS &amp; TYRES</b>	
	Tyre type	Radial tubeless
	Tyre Size	225 / 75 R 17.5
10	<b>DIMENSIONS (mm)</b>	
	Wheel Base	4000 to 4200 mm
	Overall Width	2300 to 2500 mm
	Overall Length	8000 to 8600 mm
	Overall height with roof hatch / AC	3000 to 3200/ 3100 to 3400
	Ground Clearance	185 or more
11	<b>WEIGHT (kg)</b>	
	Maximum GVW	7000 to 8000 kg
	Seat option	High back / Standard
12	<b>CAPACITY</b>	
	Fuel Tank	110 Litres or more
12	<b>SEATING CAPACITY</b>	
	Seating Capacity	30 to 35 +D

# राजस्थान पुलिस अकादमी नेहरू नगर, जयपुर

www.rpa.rajasthan.gov.in

13	TURNING RADIUS	
	Radius	7.5 m or lower
2	Part-B मोबाइल एन्ड्रोइड लैब में स्थापित किए जाने वाले उपकरणों की सूची मय संख्या	
S. No.	Name of product	No. of Items
1	Criminal Investigation cum evidence collection Kit	1
2	Semen detection kit	1
3	Arson/Fire Investigation kit	1
4	Crime scene illumination kit	1
5	Blood detection kit	1
6	Magnetic latent print kit	1
7	Finger print baking card	1
8	Narcotics detection kit	1
9	Fire arm residue detection kit	1
10	Post mortem finger print kit	1
11	Crime scene sketch kit	1
12	Gunshot residue collection kit	1
13	Laptop	1
14	Hard disk (2TB)	1
15	Crime Scene Dummy/ Mannequin	1



Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a signature starting with 'SC', a signature starting with 'JG', a large 'X' mark, and a small 'N' mark.

**राजस्थान पुलिस अकादमी नेहरू नगर, जयपुर**  
**www.rpa.rajasthan.gov.in**

परिशिष्ट B

प्रशासनिक भवन / हॉस्टल हेतु  
बायोमेट्रिक मशीन क्रय हेतु।

### Specifications/Quantity

Biometric Attendance Machine with cloud with cable and Network works

Sr. No.	Item Name	Qty/Mtr.	Amount (Without GST)
1.	Biometric Attendance Machine with Cloud	14	
2.	8-Port Gigabit Ethernet PoE+ 2 SFP	13	
3.	SFP Single Mode	26	
4.	CAT-6 Cable in meter	130	
5.	Network Rack 4U with Accessories	6	
6.	Cable laying with PVC Conduit in meter	130	
7.	Biometric Installation Charges	14	
8.	Rack Installation Charge	6	
9.	OFC Testing Charges	12	

**नोट :- जीएसटी (यदि लागू हो) नियमानुसार पृथक् से देय होगी।**


	<b>Term &amp; Condition</b>
1	Site Inspection before final submitting bid for clear understanding of work.
2	Bidder should have OEM Authorization Certificate for all Items (MAF)
3	Service Support for one year by OEM/Bidder
4	OEM LOGO /trade mark should be embossed on equipment (No sticker will be accepted)
5	Product Catalogue should be available on OEM Site.
6	Biometric should Compatible and Support ONtime Employee Attendance(For All Other Models) 3.3.21 Software
7	OEM should have own online-dedicated support centre available during working hours and a fully equipped repair and maintenance office in India.

# राजस्थान पुलिस अकादमी नेहरू नगर, जयपुर

www.rpa.rajasthan.gov.in

- 8 OEM should have presence in India with a service centre in Jaipur (Rajasthan) and toll free number

S.No.	1. Specification	
Face Reader-Access Control		
1	Description : Face Reader& Fingerprint Reader with Access Control	
2	Color 7.1CM (2.8) TFT LCD	
3	Face capacity: 3000	
4	User Capacity: 5000	
5	Fingerprint/Card/Password	
6	600 DPI High Resolution Optical Sensor	
7	Support Access Control	
8	Communication TCP/IP & WiFi	
9	Camera: High	Definition & Dual Camera
10	Infrared lamps: 2 Ultra bright lamp	2 Ultra bright lamp
11	Fingerprint reader: -	600DPI High Resolution Optical Sensor
12	Card function:Proximity Card	Proximity Card
13	Display Color: Color 7.1CM (2.8) TFT LCD	Color 7.1CM (2.8) TFT LCD
14	Touch key:	16 keys
15	Human body induction:	Yes
16	LED lamp:	Red & Green (Dual Color)
17	Input port:	Wiegand 26/34 (can be external card reader module)
18	Professional accesscontrol :	Yes
19	Communication:	TCP/IP, WIFI, RS485
20	U disk port:	Yes (notice: only support FAT32 file system)
21	Voice output:	Yes
22	Operating system:	LINUX VER3.6.5
23	Face Capacity:	3000 (Optional)
24	Fingerprint Capacity :	5,000
25	User record & Management:	300,000



# राजस्थान पुलिस अकादमी नेहरू नगर, जयपुर

www.rpa.rajasthan.gov.in

26	Access Control :	Access control function and optional access / time zone management, Anti – submarien / duress alarm function
27	Attendance function:	Attendance (on/off duty, overtime) time zone
28	Ring function:	Yes
29	Power management:	Sleep function
30	U diskupload / download :	Yes
31	Registration:	Information & record
32	Dynamic IP allocation :	Yes
33	Algorithm version : Face v2.0	Face v2.0
34	FAR/FRR :	0.01% / 1%
35	Matching speed:	< 1 sec.
36	Intelligent updating function	: Yes
37	Face identification mode :	1:N or 1:1
38	Working Temperature:	-10°C ~ 60°C
39	Working Humidity :	20% ~ 80%

## 2. Switch 8 port + POE

Architecture	Switch with 8 Ports 10/100/1000Mbps + 2 SFP+POE with 6kv as per IEC 61000-4-5 surge protection on all copper port.
	Switch should have min. DRAM Size of 256 MB and Flash Size min. 32 MB
Network Media	SFP's 1000 BaseSX, 1000BaseLX, 1000BaseTX

## 3. SFP Module

The proposed SFP should be 1000BASE-LX port (IEEE 802.3z standard)

The SFP should support Duplex LC connector

Handwritten signatures and initials are present at the bottom right of the page, appearing to be approvals or signatures of officials.

# राजस्थान पुलिस अकादमी नेहरू नगर, जयपुर

www.rpa.rajasthan.gov.in

## 4. CAT-6 UTP Cable

Category 6 Unshielded Twisted Pair 4 pair 100W cable shall be compliant with ANSI/TIA/EIA-568-C.2  
Additional Transmission Performance Specifications for 4-pair 100W

Category 6 UTP cables shall extend between the work area location and its associated telecommunications closet and consist of 4 pair, 23 AWG, UTP.

Construction: 4 twisted pairs separated by internal X shaped, 4 channel, polymer spine / full separator. Half shall not be accepted.

Conductor Solid bare Copper

Insulation :High Density Polyethylene Jacket FR

Outer Diameter 6.1 mm nominal

Temperature Range -20° to +70°C

## 5. 4U Rack with 45X55X25.5 dimension

Rack Standard :	Conforms to DIN 41494 or equivalent standard
Construction :	Welded Front
Door :	Lockable Toughened Glass Door
Basic Frame :	Steel Equipment
Mounting :	DIN Standard Slots
Mounting Angle :	19" Mounting angles made of formed steel
Standard Finish :	Powder Coated
Top and Bottom Cover :	Welded to Frame, Vented and Field Cable entry exit cut outs
Static Load :	25 kgs or more



# राजस्थान पुलिस अकादमी नेहरू नगर, जयपुर


www.rpa.rajasthan.gov.in

परिशिष्ट c

अकादमी परिसर में कान्फेंस हॉल के उन्नयन के लिये फर्निचर क्रय हेतु

## Specifications/Quantity

Sr. No.	Name of Item	Quantity	Specifications
1	Chair Non-revolving with armrest	40	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Chair typeNon-revolving and non-tilting chair with armrest</li><li>2. Chair understructure typeLegs</li><li>3. Understructure materialMild steel</li><li>4. The shape of tubular section of understructureRound</li><li>5. Section Size (Diameter/Sides) of understructure22 mm</li><li>6. Understructure wall thickness (mm)1.2</li><li>7. CastorNo</li><li>8. Seat materialPU foam</li><li>9. Density of PU used in seat (kg per cubic meter)&gt;30&lt;=40</li><li>10. Thickness of PU used in seat (mm)&gt;50</li><li>11. Minimum seat height from floor surface (mm)&gt;400&lt;=500</li><li>12. Width of seat (mm)&gt;400&lt;=450</li><li>13. Depth of seat (mm)&gt;400&lt;=450</li><li>14. Seat upholstery materialLeatherette</li><li>15. Backrest base frame materialHot pressed plywood</li><li>16. Backrest materialMoulded PU</li></ol>



# राजस्थान पुलिस अकादमी नेहरू नगर, जयपुर

www.rpa.rajasthan.gov.in

			17. Density of PU used in backrest (kg per cubic meter)>30<=40 18. Thickness of PU used in backrest (mm)>50 19. Width of backrest (mm)>400<=450 20. Backrest height from the seat level>450<=550 21. Backrest upholstery material Leatherette 22. Armrest type Moulded armrest continuously fitted with seat and back 23. Armrest movement Fixed 24. Warranty period in number of years
2	WOODEN FLUSH DOOR SHUTTERS (SOLID CORE TYPE)	2	1. Size 6.9'*3'" 2. Conformity to Indian Standard IS. 2202 (Latest) 3. Width 900 millimeter 4. Thickness of Shutter 30 millimeter 5. Warranty 3 year 6. Designation of Doors 9 DS 20 7. Type Non-Decorative Type
3	Sheesham Wooden chair with armrest and cushion	10	Standard size

A series of handwritten signatures and initials in black ink, including 'SD', 'V', 'A', and 'K'.